

[प्ररूप सं. 16
नियम 31(1)(क) देखें]
भाग क

धारा 192 के अधीन कर्मचारियों को भुगतान किए गए वेतन के स्रोत पर कर कटौती अथवा धारा 194 के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक पेंशन या ब्याज आय के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 203 के अधीन प्रमाण

प्रमाण पत्र सं.		अंतिम बार अद्यतन की गई	
नियोजक/विनिर्दिष्ट बैंक का नाम व पता		कर्मचारी/विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक का नाम व पता	
कटौतीकर्ता का पैन	कटौतीकर्ता का टैन	कर्मचारी/ विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक का पैन	कर्मचारी संदर्भ सं./पेंशन भुगतान आदेश सं. नियोजक द्वारा प्रदत्त की गई हो (यदि उपलब्ध हो)
सी आई टी (टीडीएस)		निर्धारण वर्ष	नियोजक के साथ अवधि
पता..... शहर पिन कोड		से	तक

कर्मचारी के संबंध में उनके स्रोत पर भुगतान/जमा और कर कटौती रकम का सारांश

तिमाहियों	धारा 200 की उप धारा (3) के अधीन टीडीएस के मूल तिमाही विवरण की प्राप्ति संख्या	संदत्त/ जमा की गई रकम	कर कटौती की रकम (रु.)	जमा किए गए /छूट दी गई कर की रकम (रु.)
कुल (रु.)				

1. कटौती किए गए और बही समायोजन के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए कर का ब्यौरा (कटौतीकर्ता द्वारा कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत कटौती किए गए और जमा किए गए कर का भुगतान वार ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए)

क्रम सं.	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत जमा किया गया कर (रु.)	बही पहचान संख्याक (बीआईएन)			
		प्ररूप संख्या 24छ की प्राप्ति संख्या	प्ररूप संख्या 24छ में डीडीओ क्रम संख्या	अंतरण वाउचर की तारीख (दिदि/मम/वववव)	प्ररूप संख्या 24छ के साथ मिलान की प्राप्ति

कुल(रू.)					

2. कटौती किए गए और चालान के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए कर का ब्यौरा (कटौतीकर्ता द्वारा कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत कटौती किए गए और जमा किए गए कर का भुगतान वार ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए)

क्रम सं.	कटौती किए जाने व्यक्ति के बाबत जमा किया गया कर (रू.)	चालान पहचान सं. (सी आई एन)			
		बैंक शाखा का बीएसआर कोड	वह तारीख जिसको कर जमा किया गया (दिदि/मम/वववव)	चालान क्रम सं.	ओएलटीएस के साथ मिलान की प्रास्थिति
कुल(रू.)					

सत्यापन

मैं, पुत्र/पुत्री जो (पदनाम) की हैसियत में कार्य कर रहा/रही हूं, यह प्रमाणित करता/करती हूं किरुपए [केवल.....(शब्दों में)] की रकम की कटौती की गई है और केन्द्रीय सरकार के खाते में संदत्त की गई है। मैं यह प्रमाणित करता/करती हूं कि उपरोक्त दी गई जानकारी लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों, और अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सही और ठीक है।

स्थान.....	(कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)
तारीख :	
पदनाम:	पूरा नाम :

[भाग ख (उपाबंध-1)]

धारा 192 के अधीन कर कटौती के लिए कर्मचारियों के संबंध में संदत्त वेतन और अन्य आय तथा कर कटौती के ब्यौरे

क्र	क्या धारा 115खकग(1क) के अधीन कराधान का विकल्प चुना गया है?	[हां/नहीं]
1.	सकल वेतन	
(क)	धारा 17(1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार वेतन	रू. ...
(ख)	धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य (प्ररूप सं. 12खक के अनुसार जहां भी लागू हो)	रू. ...
(ग)	धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ (प्ररूप सं. 12खक, जहां भी लागू हो)	रू. ...

(घ)	कुल			₹ ...
(ड.)	रिपोर्ट की गई अन्य नियोजक(नियोजकों) से प्राप्त वेतन की कुल रकम			₹ ...
2.	घटाएं: धारा 10 के अधीन छूट की सीमा तक भत्ते;			
(क)	धारा 10(5) के अधीन यात्रा खर्चा अथवा सहायता			₹ ...
(ख)	धारा 10(10) के अधीन मृत्यु सह-सेवा निवृत्ति ग्रेजुटी			₹ ...
(ग)	धारा 10(10क) के अधीन पेंशन का रूपांतरित मूल्य			₹ ...
(घ)	धारा 10(10कक) के अधीन अवकाश वेतन नकदीकरण के समतुल्य नकद			₹ ...
(ड)	धारा 10(13क) के अधीन गृह किराया भत्ता			₹ ...
(च)	धारा 10(14) के अधीन अन्य विशेष भत्ते			₹ ...
(छ)	धारा 10 के अधीन कोई अन्य छूट की रकम			
	खंड ...		₹ ...	
	खंड ...		₹ ...	
	खंड ...		₹ ...	
	खंड ...		₹ ...	
	खंड ...		₹ ...	
	...		₹ ...	
(ज)	धारा 10 के अधीन कोई अन्य छूट की कुल रकम			₹ ...
(झ)	धारा 10 के अधीन दावा की गई छूट की रकम [2(क)+2(ख)+2(ग)+2(घ)+2(ड)+2(च)+2(ज)]			₹ ...
3.	वर्तमान नियोजक से प्राप्त वेतन की कुल रकम [1(घ)-2(झ)]			₹ ...
4.	घटाएं: धारा 16 के अधीन कटौतियां			
(क)	धारा 16(झक) के अधीन मानक कटौती			₹ ...
(ख)	धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता			₹ ...
(ग)	धारा 16(iii) के अधीन रोजगार पर कर			₹ ...
5.	धारा 16 के अधीन कटौतियों की कुल रकम [4(क)+4(ख)+4(ग)]			₹ ...
6.	"वेतन शीर्ष" के अधीन प्रभार्य आय [(3+1(ड.)-5)]			₹ ...
7.	जोड़ें: धारा 192(2ख) के अधीन कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट की गई कोई अन्य आय			
(क)	टीडीएस के लिए प्रस्तावित कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट की गई गृह संपत्ति से आय (या अनजय हानि)			₹ ...

(ख)	टीडीएस के लिए प्रस्तावित अन्य स्रोत शीर्ष के अधीन आय			₹ ...
8.	कर्मचारी द्वारा सूचित अन्य आय की कुल रकम [7(क)+7(ख)]			₹ ...
9.	सकल कुल आय (6+8)			₹ ...
10.	अध्याय VI-क के अधीन कटौती			
			सकल रकम	कटौती योग्य रकम

(क)	धारा 80ग के अधीन जीवन बीमा, प्रीमियम के संबंध में कटौती, भविष्य निधि आदि में योगदान		रु. ...	रु. ...
(ख)	धारा 80गग के अधीन कतिपय पेंशन निधि अंशदान के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
(ग)	धारा 80गघ (1) के अधीन पेंशन योजना के लिए करदाता द्वारा अंशदान के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
(घ)	धारा 80ग, 80गग और 80गगघ(1) के अधीन कुल कटौती		रु. ...	रु. ...
(ङ)	धारा 80गगघ(1ख) के अधीन अधिसूचित पेंशन योजना संदत्त/जमा की गई रकम के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
(च)	धारा 80गगघ (2) के अधीन अधिसूचित पेंशन योजना में नियोजक द्वारा अंशदान के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
(छ)	धारा 80घ के अधीन स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
(ज)	धारा 80ड. के अधीन उच्च शिक्षा हेतु लिए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
(झ)	धारा 80गगज के अधीन अग्रिपथ स्कीम में कर्मचारी द्वारा अंशदान के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
(ञ)	धारा 80गगज के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अग्रिपथ स्कीम में अंशदान के संबंध में कटौती		रु. ...	रु. ...
		सकल रकम	अहर्त रकम	योग्यता रकम
(ट)	धारा 80छ अधीन कतिपय निधि, पूर्त संस्थाओं में संदान के संबंध में कुल कटौतियां	रु. ...	रु. ...	रु. ...
(ठ)		रु. ...	रु. ...	रु. ...
(ड)	धारा 80ननक के अधीन बचत खाते में जमा पर ब्याज के संबंध में कटौती अध्याय VI-क के किसी अन्य उपबंध (ओं) के अधीन कटौती योग्य रकम			
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...

	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
(ढ)	अध्याय VI-क के किसी अन्य उपबंध(ओं)के अधीन कटौती योग्य कुल रकम	रु. ...	रु. ...	रु. ...
11.	अध्याय VI-क के अधीन कटौती योग्य रकम का समग्र [10(घ)+10(ड.)+10(च)+10(छ)+10(ज)+ 10(झ)+10(ञ) +10(ट) +10(ठ) +10(ड)]			रु. ...
12.	कुल कराधेय आय (9-11)			रु. ...
13.	कुल आय पर कर			रु. ...
14.	धारा 87 के अधीन छूट(यदि लागू हो)			रु. ...
15.	अधिभार, यदि लागू हो			रु. ...
16.	स्वास्थ्य और शिक्षा कर @ 4%			रु. ...
17.	देय कर (13+15+16-14)			रु. ...
18.	घटाएं: धारा 89 के अधीन राहत (ब्यौरे संलग्न करें)			रु. ...
19.	शुद्ध देय कर (17-18)			रु. ...

सत्यापन

मैं,पुत्र/पुत्री.....जो (पदनाम)की हैसियत से कार्य कर रहा/रही हूं, यह प्रमाणित करता/करती हूं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य, पूर्ण और सही है तथा यह लेखा बहियों दस्तावेजों, स्रोत पर कर की कटौती के विवरणों और अन्य उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित है।

स्थान.....

(कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

तारीख.....

पूरा नाम.....

धारा 194त के अधीन निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में कर कटौती

क्र	क्या धारा 115खकग(1क) के अलावा कराधान का विकल्प चुन रहे हैं?	[हां/नहीं]		
1.	सकल वेतन			
(क)	धारा 17(1) के खंड (ii) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार पेंशन	रु. ...		
2.	प्राप्त वेतन की कुल रकम			रु. ...
3.	घटाएं: धारा 16 के अधीन कटौतियां			
(क)	धारा 16(क) के अधीन मानक कटौती	रु. ...		
(ख)	धारा 16(iii) के अधीन नियोजन पर कर	रु. ...		
4.	धारा 16 [3(क)+3(ख)]के अधीन कटौतियों की कुल रकम			रु. ...
5.	वेतन शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय [(2-4)]			रु. ...
6.	निर्दिष्ट बैंक द्वारा भुगतान किए गए "अन्य स्रोतों" शीर्ष के अधीन ब्याज आय	रु. ...		
7.	सकल समग्र आय (5+6)			रु. ...
8.	अध्याय VI-क के अधीन कटौतियां			
		सकल रकम	कटौती योग्य रकम	
(क)	धारा 80ग के अधीन जीवन बीमा, प्रीमियम के संबंध में कटौती, भविष्य निधि आदि में योगदान	रु. ...		रु. ...
(ख)	धारा 80गग के अधीन कतिपय पेंशन निधि अंशदान के संबंध में कटौती	रु. ...		रु. ...
(ग)	धारा 80गगघ(1) के अधीन आयकर दाता द्वारा पेंशन योजना के अंशदान के संबंध में कटौती	रु. ...		रु. ...
(घ)	धारा 80ग, 80गग और धारा 80गगघ(1) के अधीन कुल कटौती	रु. ...		रु. ...
(ङ)	धारा 80गगघ (1ख) के अधीन अधिसूचित पेंशन योजना में जमा/भुगतान की गई रकम के संबंध में कटौती	रु. ...		रु. ...
(च)	धारा 80घ के अधीन स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती	रु. ...		रु. ...
(छ)	धारा 80ड. के अधीन उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती	रु. ...		रु. ...
		सकल रकम	योग्यता रकम	कटौती योग्य रकम
(ज)	धारा 80छ अधीन कतिपय निधि, धर्मार्थ संस्थाओं में संदान के संबंध में कुल कटौतियां	रु. ...	रु. ...	रु. ...
(झ)	धारा 80ननक के अधीन बचत खाते में जमा पर ब्याज के संबंध में कटौती	रु. ...	रु. ...	रु. ...
(ञ)	अध्याय VI-क के किसी अन्य उपबंधों के अधीन कटौती योग्य रकम			
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	धारा ...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
	...	रु. ...	रु. ...	रु. ...
(ट)	अध्याय VI-क के किसी अन्य उपबंध(ओं)के अधीन कटौती योग्य कुल रकम	रु. ...	रु. ...	रु. ...
9.	अध्याय VI-क के अधीन कटौती योग्य रकम का समग्र [10(घ)+10(ङ)+10(च)+10(छ)+10(ज)+ 10(झ)+10(ट)]			रु. ...
10.	कुल कराधेय आय(7-9)			रु. ...
11.	कुल आय पर कर			रु. ...
12.	धारा 87क के अधीन छूट(यदि लागू हो)			रु. ...
13.	अधिभार, यदि लागू हो			रु. ...
14.	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर			रु. ...
15.	देय कर (11+13+14-12)			रु. ...
16.	घटाएं: धारा 89 के अधीन राहत (ब्यौरे संलग्न करें)			रु. ...
17.	शुद्ध देय कर (16-17)			रु. ...

सत्यापन	
मैं,पुत्र/पुत्री.....जो (पदनाम)की हैसियत से कार्य कर रहा/रही हूँ, यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य, पूर्ण और सही है तथा यह लेखा बहियों ,दस्तावेजों, स्रोत पर कर की कटौती के विवरणों, टीडीएस जमा और अन्य उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित है..	
स्थान	(कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)
तारीख	पूरा नाम:

टिप्पण :

- सरकारी कटौतीकर्ता, भाग क के मद 1 में जानकारी भरें यदि कर को आय कर चालान के पेश किए बिना संदत्त किया जाता है और यदि कर को आयकर चालान के साथ संदत्त किया जाता है तो भाग क के मद 2 में जानकारी भरें ।
- गैर सरकारी कटौतीकर्ता, भाग क के मद 2 में जानकारी भरें ।
- कटौतीकर्ता, आय कर आयुक्त (टीडीएस) का पता प्रस्तुत करेंगे जिसकी अधिकारिता निर्धारिती के टीडीएस विवरणों के विषय में है ।
- यदि वर्ष के दौरान, कोई निर्धारिती केवल एक नियोजन के अधीन नियोजित है तो वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को समाप्त तिमाही के लिए जारी प्रमाणपत्र, प्ररूप सं. 16 में वित्तीय वर्ष की सभी तिमाहियों के लिए जमा और कर कटौती का विवरण होगा ।
- यदि वर्ष के दौरान, कोई निर्धारिती एक नियोजक से अधिक नियोजक के अधीन नियोजित है, तो प्रत्येक नियोजक, उस अवधि से संबंधित प्ररूप सं. 16 में प्रमाणपत्र का भाग क जारी करेगा जिसके लिए ऐसा निर्धारिती प्रत्येक नियोजक के अधीन नियोजित था ।
 - निर्धारिती के विकल्प पर प्ररूप सं. 16 प्रमाणपत्र का भाग ख (उपाबंध-I) प्रत्येक नियोजक या अंतिम नियोजक द्वारा जारी किया जा सकेगा ।
 - प्ररूप सं. 16 में प्रमाण पत्र का भाग ख (उपाबंध-II) निर्दिष्ट बैंक द्वारा निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक को जारी किया जाएगा
- भाग क के मद 1 और मद 2 में कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत जमा किए गए कर के लिए स्तंभ में कर, अधिभार और स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की कुल रकम उल्लिखित करें ।
- कटौतीकर्ता भाग ख (उपाबंध-I) को कर्मचारी को देने से पहले मद संख्या 2(च) ओर 10(ट) में ब्यौरे, जहां कहीं उपलब्ध हो, सम्यक रूप से भरेगा ।];